



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 जनवरी, 2011/28 पौष, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 10 जनवरी, 2011

संख्या स्वास्थ्य-ए-ए(3)-44/96-लूज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य-क-ए(3)-44/96 तारीख 7-11-1998 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-क-ए(3)-44/96 तारीख 11-4-2000 तथा अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य-क-ए(3)-44/96 तारीख 8-5-2006 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।

उपाबन्ध —ख

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी, वर्ग-II राजपत्रित के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.—**विधि अधिकारी
2. **पदों की संख्या.—**3 (तीन)
3. **वर्गीकरण.—**वर्ग II (राजपत्रित)
4. **वेतनमान.—**(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान;
पे बैंड 10300-34800 /—रूपए जमा 4200 रूपए ग्रेड पे
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां:
14500 /— रूपए प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.—**चयन
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.—**45 वर्ष व इससे नीचे

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों कां, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त

निकायों से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारंभिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—(1) अनिवार्य अर्हता.**—भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में व्यवसायिक उपाधि या इसके समकक्ष सहित अधिवक्ता के व्यवसाय में पांच वर्ष का अनुभव या किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान में कार्य करते हुए पांच वर्ष का अनुभव।

(2) **वांछनीय अर्हता :** हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपायुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं : **(क) आयु :** लागू नहीं ।

(ख) अनिवार्य अर्हताएं: जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित है ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—दो वर्ष, जिस का एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा अन्य विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता.**—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.**—वरिष्ठ सहायकों/वरिष्ठ वेतमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि या इसके समकक्ष शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करते हों और साथ ही जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर लिपिकीय संवर्ग (जिसमें लिपिक/कनिष्ठ सहायक सम्मिलित हैं) आशुटंकक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से प्रोन्नति द्वारा, जो भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि या इसके समकक्ष शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करते हों, साथ ही जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ (सेवा), यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र कर्मचारियों की एक चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उच्चतर वेतनमान के पदधारियों को सामूहिक रूप से पात्र व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् आगे निम्नतर वेतनमान के पदधारियों को इसी प्रकार उनके नीचे रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सम्भरक (पोषक) पदों के समस्त पात्र कर्मचारियों को उनके अपने अपने ग्रेड में, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हों :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्चोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोम गाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों, में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलो में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्याधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.—(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विधि अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा। जिसे वषानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में बढौतरी/नवीकरण के लिए समबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में बढौतरी/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा पर नियुक्त विधि अधिकारी को 14500/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 440/—रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14500/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 440/—रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997, में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध— "ख"

(पद का नाम).....और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने(पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार ने(पद का नाम) के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रुपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर

दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त(पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त(पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनूमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त(पद का नाम) कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में: —

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में: —

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. HEALTH-A(3)-44/96-L, DATED 10-1-2011 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10-1-2011

No. Health-A-A(3)-44/96-L.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Law Officer, Class II (Gazetted), in the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure–A attached to this notification, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Law Officer, Class II (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Law Officer, Class II (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1998 notified vide this Department notification No.Health-A-A(3)-44/96 dated 7-11-1998 and amended vide notification No.Health-A-A(3)-44/96 dated 11-4-2000 and notification No.Health-A-A(3)-44/96 dated 8-5-2006 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the Rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Health).

Annexure-A

**Recruitment and Promotion Rules for the post of Law Officer Class-II(Gazetted)
in the Department of Health and Family Welfare, Himachal Pradesh**

1. Name of the Post.—Law Officer

2. **Number of Posts.**—3 (Three)
3. **Classification.**—Class-II (Gazetted)
4. **Scale of Pay.**—(i) Scale of Pay for regular incumbents:
Pay Band ₹ 10300-34800 + ₹ 4200 Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employees ₹ 14500/- P.M. as per details given in Col. No. 15-A
5. **Whether Selection post or non-selection.**—Selection
6. **Age for direct recruitment.**—45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled castes/Schedules Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—(1) Essential Qualification: Should possess a professional Degree in Law or its equivalent from any recognized University in India with 05(Five) years experience as a practicing Advocate or 05 (Five) years experience while working in a Govt./Semi Govt. Institutions.

(2) **Desirable Qualifications:** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—(a) Age.—Not Applicable

(b) *Essential Qualification.*—As prescribed in Col. No.11 below

9. Period of probation, If any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Assistants/Senior Scale Stenographers possessing professional Degree in Law of its equivalent from a recognized University in India with **five** years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade ,failing which by promotion from amongst the clerical cadre (which include Clerks/Junior Assistants) Stenotypist and Junior Scale Stenographer possessing professional Degree in Law or its equivalent from a recognized University in India with **10** years' regular service or regular combined with continuous adhoc rendered, if any, in the grade:

Provided that for the purpose of promotion a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scale shall be kept enbloc above the eligible person and thereafter the incumbents next in the lower pay scales be placed before it and so on.

Provided further that for the purpose of promotion a combined seniority list of all the eligible officials of the feeder posts shall be prepared on the basis of their length of service in their respective grades without disturbing their inter-se seniority in their respective cadres.

Provided further that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such area:

Provided further that the proviso supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :

1. District Lahaul Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhagal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Karga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silla-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District

1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of services in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having given the benefit of seniority there-under.

2. Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, the H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—election for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :-

I. Concept.—(a) Under this policy, the Law Officer in the Health Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be extended /renewed.

(b) Post falls within the purview of HPPSC.—The Principal Secretary (Health) to the Govt of H.P. after obtaining the approval of the Govt. to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission

(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

II. CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Law Officer appointed on contract basis will be paid consolidated contractual amount @ j 14500 /- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +Grade pay). An amount of j440 /- (3% of the minimum pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

III. Appointing /Disciplinary authority.—The Principal Secretary(Health) to the Govt. of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

IV. Selection process.—Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e H.P. Public Service Commission.

V. COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

VI. Agreement.—After selection of a candidate he/she has to sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

VII. Terms and Conditions.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ j 14500/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ j 440/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she will not be entitled for Medical Re-imburement and LTC etc., only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officers shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. The women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized medical officer/ practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Schedule Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—very Member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.PSC, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B**Form of contract/agreement to be executed between the ----- (name of post) & the Government of Himachal Pradesh through Director, Health & Family Welfare Department**

This agreement is made on this.....day of...in the year.....Between Sh/SmtS/o/D/oShri.....R/o.....Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Health & Family Welfare Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a..... (name of post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a (name of the post) on contract basis for a period of 1 year commencing on day of.....and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be extended /renewed.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be j/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual..... (name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual.....(name of the post) He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual..... (name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....
.....
.....
(Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY)

2.
.....
.....
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....
.....
.....
(Name and Full Address)

(signature of the SECOND PARTY)

2.
.....
.....
(Name and Full Address)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin Choephel पुत्र श्री Wangdak, निवासी नशेमन, कोठी बकरोटा, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्की इस आशय से गुजारा है कि उसकी (Tenzin Choephel) जन्म तिथि 15-7-1980 है, जो कि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी Tenzin Choephel की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 31-1-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Kishore Chand, aged 38 years s/o Late Shri Lachhman Singh, r/o Village Tap, P. O. Utpur, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Anju Devi, aged 30 years d/o Shri Basant Ram Sharma, r/o Tika Balouni, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kishore Chand & Anju Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-12-2010 at Anu, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-2-2011. The objection received after 11-2-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 7-1-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sanjeev Kumar, aged 30 years s/o Shri Sher Singh, r/o Village Jol, P. O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) c/o Kashmir Singh near Bus Stand Ward No. 8, Hamirpur (H. P.)
2. Pammi, aged 30 years d/o Shri Suhnu Ram, r/o Village and P. O. Jijwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) c/o Kashmir Singh near Bus Stand Ward No. 8, Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sanjeev Kumar & Pammi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 5-12-2010 at Santoshi Mata Mandir, Hamirpur, District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-2-2011. The objection received after 3-2-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 1-1-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Anil Kumar, aged 31 years s/o Shri Jai Chand, r/o Village Chauntra, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Mamta, aged 22 years d/o Shri Vijay Parkash, r/o 43-J, Railway Colony Jagadhari, Workshop (Haryana). . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Anil Kumar & Mamta have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-9-2007 at Santoshi Mata Mandir, Chauntra, Tehsil and District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-2-2011. The objection received after 3-2-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 1-1-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Ashok Kumar, aged 27 years s/o Shri Tara Chand, r/o Village Sangroh Kalan, P. O. Samirpur, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Pooja Devi, aged 26 years d/o Shri Pritam Singh, r/o Village Kashwar, P. O. Gawardoo, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ashok Kumar & Pooja Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-5-2007 at Guwardoo, Tehsil and District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-2-2011. The objection received after 3-2-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 1-1-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**Before the Sub-Divisional Magistrate, Kalpa Sub-Division at Reckong Peo, District Kinnaur,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

Ramesh Kumar s/o Late Shri Kanshi Ram, r/o V. & P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, Himachal Pradesh . . Applicant.

Application for Registration of marriage under the H.P. registration of Marriage Act, 1996.

Notice to General public.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit stating therein that he got married to Smt. Anand Kumari d/o Shri Rupi Lal, r/o Village & Tehsil Sangla, District Kinnaur (H.P.) on 15-4-2009 as per prevalent customs, but name of his wife has not been entered in the records of Gram Panchayat Kothi, so far and has further requested to issue an order to the Gram Panchayat Kothi for entry of the same.

Therefore, general public is hereby issued a notice through this publication that if anybody has any objection for the entry of name of Smt. Anand Kumari as wife of Shri Ramesh Chand s/o Late Shri Kanshi Ram, r/o Village Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur in the records of the Gram Panchayat Kothi, he may present written/oral objection before the undersigned on or before 27-1-2011 failing which it will be to the concerned that nobody has objection and necessary orders will be issued to the concerned Gram Panchayat for entry of the marriage.

Issued under my hand and seal of the Court today on 24th day of December, 2010.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Kalpa Sub-Division at Reckong Peo,
District Kinnaur, Himachal Pradesh.

**Before the Marriage Officer (S.D.M.), Kalpa Sub-Division at Reckong Peo, District Kinnaur,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Dr. Praveen, r/o Village & P.O. Bahi Pathiar, Tehsil Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh.
2. Renu Dogra, r/o Tara Cottage, near DAV School Sector 2, New Shimla, H. P.
.. Applicants.

Application for Registration of marriage under Section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Notice to General public.

The above named applicants has preferred an application for registration of marriage stating therein that a ceremony of marriage was performed between them on 19th day of July, 2010 and ever since they have been living together as husband and wife at Reckong Peo, District Kinnaur, Himachal Pradesh.

Therefore, general public is hereby issued a notice through this publication that if anybody has any objection for registration of marriage of Dr. Parveen and Renu Dogra, he may present written/oral objection before the undersigned on or before 31st January, 2011 failing which it will be presumed that nobody has any objection and marriage will be registered accordingly as provided in the Act *ibid*.

Issued under my hand and seal of the Court today on 31st day of December, 2010.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer,
Kalpa Sub-Division at Reckong Peo,
District Kinnaur, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री डी0 के0 रतन, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री रंजन ठाकुर पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी वार्ड नं0 7, शानन, जोगिन्दरनगर, तहसील
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पति)।

श्रीमती मौसमी कटोच पुत्री श्री तिलक चन्द कटोच, निवासी घुंघर टांडा, डा0 व तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (पत्नी)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करने बारे।

उपरोक्त मामला में श्री रंजन ठाकुर व मौसमी कटोच ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि
उन्होंने दिनांक 23-11-2010 को हिन्दू रिति-रिवाज के साथ जोगिन्दरनगर में शादी की है और तब से वह
पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट 1954 के
अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि
यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-1-2011 को दोपहर 2.00
बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत
न होगा।

आज दिनांक 29-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

डी0 के0 रतन,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री के0 सी0 शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कोटखाई,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री थिसू राम पुत्र श्री शुकुरु राम, निवासी चड़ोल, डा0 पनोग तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र राजस्व कागजात में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री थिसू राम पुत्र श्री शुकुरु राम, निवासी चड़ोल, डा0 पनोग तहसील कोटखाई, जिला शिमला
(हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में

व पंचायत रिकार्ड में थिसू राम दर्ज है। लेकिन पिता जी की ब्रास्त दर्ज करवाते समय राजस्व अभिलेख में प्रकाश दर्ज करवाया गया है। नाम दुरुस्त करवाने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्त करवाने में कोई एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 2-2-2011 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में उजर पेश करें। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

के० सी० शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 22-IX/07.

तारीख रजूआ : 27-9-2007.

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

ब मुकद्दमा :

1. श्रीमती सटू विधवा श्री विन्दू, निवासी मंगवाणी आदि . फ्रीक अब्बल।

बनाम

मागतू राम पुत्र श्री न्यारखू, निवासी मंगवाणी, तहसील चडगांव, जिला शिमला।

दरखास्त बराए फरमाए जाने गैर निस्वत कराने हुक्कमन तकसीम भूमि खाता खतौनी नं० 179/421 ता 422 हाल खसरा नं० 2210, 2211, 2214, कित्ता 4, रकवा तादादी 00-41-41 हैक्टेयर व खाता खतौनी नं० 180/423 ता 427 हाल ख० नं० 1238, 1239, 1276, 1252, 1258, 1251, 1240, कित्ता 7, रकवा तादादी 00-46-02 है० व खाता खतौनी नं० 181/428 ता 434 हाल ख० नं० 2212, 1227, 1228, 1229, 2213, 1226, 1230, 1833, 1231, 1834, 1232, कित्ता 11, रकवा तादादी 00-81-21 है० वाका चक कुल गांव, तहसील चडगांव वरुए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा अ। फ्रीक अब्बल श्रीमती सटू विधवा श्री विन्दू, निवासी मंगवाणी, तहसील चडगांव ने एक दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुशतरका है तथा अराजी मुशतरका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फ्रीकैन को बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फरीक दोयम भगत सिंह पुत्र श्रीमती कमली देवी, निवासी हाल अणू शिशम देवी हाल पत्नी श्री टिपरु, निवासी बलून, तहसील रोहडू सवीर दास पुत्र श्री नानू राम घर पर न मिलने के कारण उचित तामिल न हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामिल साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-2-2011 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 22-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरदीप पुत्र श्री सिओ राम, निवासी काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गुरदीप पुत्र श्री सिओ राम, निवासी काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधिन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र कर्ण जिसकी जन्म तिथि 28-7-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत काला अम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कर्ण का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 16-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री भलखान सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, निवासी मीरपुर कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भलखान सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, निवासी मीरपुर कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधिन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती काटो देवी की मृत्यु तिथि 12-6-2007 है, का नाम नगर पालिका त्रिलोकपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर स्व0 श्रीमती काटो देवी का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 16-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री गीता राम पुत्र श्री गुलाब सिंह, ग्राम भटोड़ी, उप-तहसील रोन्हाट (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए दुरुस्ती बारे।

श्री गीता राम पुत्र श्री गुलाब सिंह, ग्राम भटोड़ी, ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि रणजीत उसका हकीकी पुत्र है, परन्तु ग्राम पंचायत झकाण्डो के पंचायती रिकार्ड में रणजीत उसके भाई सुरेश चन्द के नाम दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर या एतराज दिनांक 10-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 7-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

[Authoritative English Text of this Notification No.1-58/69-Fin (LA) Part (1), dated 22-12-2010 as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India].

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 22nd December, 2010

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in Consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No.1-58/69-Fin (LA) Part (1), dated 4-3-2009, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I(Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of column 4 of Annexure-‘A’.—2. In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009:-

(a) For the existing provisions against column No.4, the following shall be substituted, namely:-

“ Pay Band +Grade Pay Rs.10,300-34,800+5400/- ”

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Finance).

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 22 दिसम्बर, 2010

संख्या 1-58/69-फिन{एल0ए0}पार्ट(1).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट(1), तारीख 4 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—[1] इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है ।

[2] ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध ‘क’ के स्तम्भ 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा परीक्षा), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध “क” में :-

स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पे बैंड जमा ग्रेड पे : 10300-34800+5400 /-रूपए”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /-
प्रधान सचिव {वित्त} ।

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2011

संख्या टीसीपी-एफ (4)-1/2007.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का 12) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन तैयार किए गए कुल्लू घाटी क्षेत्र के लैफ्ट आउट क्षेत्र के लिए कुल्लू घाटी योजना क्षेत्र की विकास योजना का, बिना किसी उपातरण के, अनुमोदन कर दिया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कुल्लू घाटी योजना क्षेत्र की विकास योजना को प्रकाशित करती हैं और सूचना देती हैं कि उक्त विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. अति० मुख्य सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
2. निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना) हि० प्र० शिमला-171009.
3. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अति० मुख्य सचिव (टी०सी०पी०)।

[Authoritative english text of government notification no.Tcp-f (4)-1/2007 dated 15-01-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of india].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 15th January, 2011

No. TCP-F (4)-1/2007.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under sub-section (1) of section-20 of the Himachal Pradesh, Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) has approved the Development Plan for the left out areas of Kullu Valley Planning Area, prepared by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh under section-19 of the said Act without any modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers vested in her under subsection (4) of section-20 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the Development Plan for the left out areas of Kullu Valley Planning Area as approved by the State Government and issue the notice that a copy of the said Development Plan may be inspected in the following Offices during office hours, namely:—

1. Addl. Chief Secretary (TCP)
to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Director,
Town and Country Planning Department,
H. P. Shimla-171009.
3. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office,
Kullu, District Kullu, H.P.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (TCP).